



जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta



Reliance

Industrial Infrastructure
Limited

पंजीकृत कार्यालय: एनकेएम इंटरनेशनल हाउस, 4 वीं मंजिल, 97C बैंकबे रिकलेमेशन,
एलआईसी योगक्षेम बिल्डिंग के पीछे, बाबूभाई चैनॉय रोड, मुंबई- 400 020
फोन: 022-88999043. ई-मेल: investor_relations@riil.in
CIN: L60300MH1988PLC049019

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)

विषय.: निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते में
कम्पनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और रिफण्ड) नियम, 2016 ("नियम") 7 सितंबर, 2016 से प्रभावी, के तहत प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित हुई है।

अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) सस्पेंस खाते के नाम पर हस्तांतरण का प्रावधान है।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कम्पनी ने ऐसे सभी शेयरों के धारकोंको जिनके शेयर उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित होने संभावित है उन्हें उचित कर्वाइ करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट www.riil.in पर अपलोड कर दी है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांश के विवरण और शेयरों जो आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरित होने हैं उनकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए वे वेब लिंक http://www.riil.in/html/investor_services.html देखें।

शेयरधारक ध्यान दे कि बेदावा लाभांश और शेयर दोनों जो आईईपीएफ सस्पेंस खाते में हस्तांतरित किए हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किए जा सकते हैं।

संबंधित शेयरधारक, फिजिकल रूप में शेयर धारण करने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरित होने वाले हैं, वे ध्यान दे कि नियमों के अनुसार कम्पनी आईईपीएफ सस्पेंस खाते को स्थानांतरण करने के उद्देश्य से उनके द्वारा धारण किए मूल शेयर प्रमाणपत्र के एवज में डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी जिनके कारण मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं वे स्वयंमेव रद्द हो जाएंगे तथा गैर- परक्राम्य मान लिए जाएंगे। शेयरधारक आगे ध्यान दे कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया विवरण इन नियमों के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र के लिए पर्याप्त सूचना समझा जाना चाहिए।

संबंधित शेयरधारकों से 30 नवंबर, 2016 या ऐसी अन्य तारीख जब तक बढ़ाई जाएं तब तक कम्पनी को कोई संचार प्राप्त न होने के परिस्थिती में, कम्पनी, नियमों में वर्णित आवश्यकताओं के साथ पालन करने के दृष्टिकोण से, संबंधित शेयरों को आईईपीएफ सस्पेंस खाते को नियत तारीख पर हस्तांतरण कर देगी जैसे नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

अगर शेयरधारकों का इस विषय और नियमों पर कोई भी सवाल है, तो वे कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि., श्री एस. पी. वेणुगोपाल, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 39-32, गछीबावली, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032. टेली: + 91-80-6796 9700/9709; फ़ैक्स: + 91-80-6796 9600; टोल फ्री नं.: 9000-8254-999. ईमेल: riilnkm@karvy.com; वेबसाइट: www.karvy.com से संपर्क करें।

रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरी/-

शैलेश ढोलकिया

कम्पनी सेक्रेटरी और कम्पलायंस ऑफीसर

स्थान : मुंबई

दिनांक : 7 नवंबर 2016